संख्या–   /XV-2/01(09)/2019

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02   देहरादून: दिनांक 01 अप्रैल, 2019:

विषय– डेरी विकास विभाग को आयोजनेत्तर (निदेशन तथा प्रशासन) में वित्तीय वर्ष 2019–20 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–104–05/लेखा0/बजट प्रस्ताव प्रेषण पत्रा0/2019–20, दिनांक 18 अप्रैल, 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254/3(150)–2017/XXVII(1)/2019, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में डेरी विकास विभाग को निम्नलिखित वचनबद्ध एवं अवचनबद्ध मदों में कुल धनराशि रू0 107968 हजार (रूपये दस करोड़ उन्नासी लाख अडसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 हजार में)

मद संख्या का कोड एवं नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट व्यवस्था	अवमुक्त की जा रही धनराशि
01–वेतन	82240	82240
03–महगाई भत्ता	12336	12336
04–यात्रा व्यय	450	450
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	400	400
06–अन्य भत्ते	7402	7402
07–मानदेय	20	20
08–कार्यालय व्यय	250	250
09–विद्युत देय	200	200
10–जलकर/जलप्रभार	40	40
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	150	150
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	100
13–टेलीफोन पर व्यय	250	250
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	500	500
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2500	2500
17–किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	170	170
19–विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	100	100
22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता	50	50

27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	160	160
44–प्रशिक्षण व्यय	100	100
45–अवकाश यात्रा व्यय	50	50
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय	300	300
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	200	200
योग–	107968	**107968**

1. निदेशक, डेरी विभाग द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट कर तत्काल जिला स्तरीय अधिकारियों को एवं शासन को अवगत कराया जायेगा। फाट इस प्रकार की जायेगी कि निदेशालय एवं जनपदों में कार्मिकों की संख्या एवं देयता को मध्य नजर रखते हुए पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाये ऐसा न हो कि एक जनपद में अधिक बजट दे दिया जाय जबकि अन्य जनपदों में बजट की कमी रह जाये।
2. निदेशक, डेरी द्वारा बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर व्यय वितरण शासन के प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की अगली 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।
3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
4. व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में वेतन आदि मदों में अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित करें।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी0जी.एसन.एन.डी. की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
6. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा, जो बिल को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जांय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
7. सुनिश्चित किया जाय कि (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिये जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गयी सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254/3(150)–2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या– 246 (01)/XV-2/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।